न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 1441–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–4–2014 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, म.प्र., मोतीमहल, ग्वालियर प्र. क. आर.ई.सी/58/2013–14.

....

मेसर्स परनॉड रिकार्ड इण्डिया प्रा.लि.
ए.बी. रोड, रायरू, ग्वालियर
द्वारा मैनेजर धर्मेन्द्र सिंह पुत्र दिलीप चंद्र
निवासी हाऊस नं. 402, ब्लॉक 1
फेज 3, गार्डन होम्स, ग्वालियर ....अपीलार्थी

विरूद्ध

1– म.प्र. राज्य द्वारा आबकारी आयुक्त,
म.प्र. मोतीमहल, ग्वालियर
2– उपायुक्त आबकारी (Flying Squad)
ग्वालियर ....प्रत्यर्थीगण

श्री आशीष शर्मा, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री बी0एन0 त्यागी, शासकीय अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 25 नवम्बर, 2014)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2) (सी) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–4–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मेसर्स परनॉड रिकार्ड इण्डिया प्रा.लि. ए.बी. रोड, रायरू, जिला ग्वालियर से दिनांक 1–4–2010 लगायत 31–3–2011 तक कुल 1126 परिवहन परमिटों से 59,71,467.9 प्रुफ लीटर विदेशी मदिरा का निर्यात किया गया । गंतव्य स्थान पर सत्यापन के समय 59,24,516 प्रुफ लीटर स्प्रिट परेषण पर प्राप्त हुई । इस

प्रकार विदेशी मदिरा परेषणों के परिवहन पर 46,951.9 प्रुफ लीटर विदेशी मदिरा की हानि हुई, जो कि निर्धारित सीमा से 32,023.24 प्रुफ लीटर अधिक है । निर्धारित सीमा से अधिक मार्ग हानि होने पर उपायुक्त आबकारी, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक आब/आस./2013–14/1393 में दिनांक 13–8–2013 को आदेश पारित कर विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 19 (2) के अनुसार कुल 6,42,47,493/– रूपये शास्ति अधिरोपित की गई । उपायुक्त आबकारी के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 16–4–2014 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में दिनाक 13–11–2014 को अपीलार्थी इकाई की ओर से श्री आशीष शर्मा अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर तर्क प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की गई, अतः प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत करने पर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित किया गया । अपीलार्थी इकाई के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण का निराकरण अपील मेमों में उल्लिखित आधारों पर एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों के आधार पर किया जा रहा है । अपील मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :–

(1) उपायुक्त आबकारी द्वारा जिन 1126 परमिटों के संदर्भ में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, उनमें से 5 परमिटों के द्वारा ले जाई जा रही विदेशी मदिरा में निर्धारित सीमा से अधिक हानि दुर्घटना के कारण हुई है, जिनके संबंध में संबंधित थाने में एफ.आई.आर. भी दर्ज करा दी गई है । इस स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(2) म.प्र. विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 19 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी को इस बात का समाधान होने पर कि निर्धारित सीमा से अधिक हानि उन परिस्थितियों के कारण हुई है, जो कि अपीलार्थी इकाई के हाथ में नहीं थी, जैसे एक्सीडेंट आदि, तो प्राधिकृत अधिकारी शास्ति अधिरोपित करने से छूट प्रदान कर सकता है । इस प्रकरण में निर्धारित सीमा से अधिक हानि एक्सीडेंट के कारण हुई थी, और अपीलार्थी इकाई द्वारा

संबंधित थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई थी, तब प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(3) निर्धारित सीमा से अधिक हुई मार्ग हानि के कारण शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी इकाई पर शास्ति अधिरोपित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(4) गंतव्य स्थल पर मदिरा सत्यापन मनमाने तरीके से अपीलार्थी इकाई के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में किया गया है, ऐसी स्थिति में परेषण भेजने में हुई हानि पर शास्ति अधिरोपित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना हुई है ।

(5) म.प्र. आबकारी नियम, 1996 के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित करने संबंधी प्रावधान को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिसका प्रकरण कमांक 11409/2010 है, अतः अपीलार्थी इकाई पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जानी चाहिए थी ।

(6) अपीलार्थी इकाई को जिस समय लायसेंस दिया गया था, उसमें इस प्रकार की कोई शर्त नहीं थी कि निर्धारित सीमा से अधिक हानि होने के लिए उस पर शास्ति अधिरोपित की जायेगी ।

(7) उपायुक्त आबकारी द्वारा अपीलार्थी इकाई पर शास्ति अधिरोपित करने पर उसे सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :–

(1) अपीलार्थी को पूर्व में ही नोटिस पन्ना कमांक 446 दिनांक 20–3–2013 देकर उक्त राशि जमा कराये जाने हेतु दिया जा चुका है तथा दिनांक 16–4–2014 को आदेश पारित किया गया है । इस प्रकार सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के बाद आदेश पारित किया गया है, इसलिए अपील निरस्त किए जाने योग्य है ।

(2) आसवनी, बोतल भराई, परिवहन एवं भण्डागार नियम के प्रावधानों के अनुसार आसवक के पूर्व जोखिम व उत्तरदायित्व पर मदिरा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त की गई थी । अन्य स्त्रोतों से मदिरा प्राप्त करने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का पूर्ण दायित्व आसवक का ही था । अतः नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार ही आदेश पारित किया गया है ।

(3) अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है, अतः अपील निरस्ती योग्य है ।

(4) अपीलार्थी मेसर्स परनॉड रिकार्ड इण्डिया प्रा.लि. ए.बी. रोड, रायरू, ग्वालियर द्वारा आवक द्वारा प्रेषित ओ.पी. मदिरा परेषण में अनुमत्य सीमा से अधिक मार्ग हानि 31125.25 प्रुफ लीटर एवं 897.9 प्रुफ लीटर पर म.प्र. आसवनी नियम, 1995 के नियम 8 (4) के प्रावधान अनुसार तत्समय देय अधिकतम ड्यूटी के तीन गुना अर्थात 2045/– की दर से 6,36,35,574/– एवं 6,11,919/– कुल 6,42,47,493/– रूपये की शास्ति उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता ग्वालियर द्वारा आरोपित की गई है, जो कि नियमानुसार सही है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । उपायुक्त आबकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि दिनांक 1–4–2010 से 31–3–2011 तक कुल 1126 परिवहन परमिटों से की गई मदिरा निर्यात में निर्धारित मार्ग हानि से 32,023.24 प्रुफ लीटर अधिक मार्ग हानि हुई है । म.प्र. विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 19 (2) के अंतर्गत निर्धारित मार्ग हानि से अधिक होने पर शास्ति लगाई जाने का प्रावधान है, और इस नियम के तहत विदेशी मदिरा पर देय अधिकतम शुल्क के 3 गुना परन्तु 4 गुना से अनधिक दर से शास्ति अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है । अतः उपायुक्त आबकारी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मार्ग हानि होने पर देय अधिकतम शुल्क के 3 गुना दर से रूपये 6,42,47,493/– रूपये शास्ति अधिरोपित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, और उपायुक्त आबकारी के वैधानिक आदेश की पुष्टि करने में आबकारी आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अपीलार्थी इकाई की ओर से अपील मेमों में उठाया गया यह आधार उचित नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है कि विदेशी मदिरा के परिवहन में हुई हानि दुर्घटना के कारण हुई है, जो कि अपीलार्थी के वश में नहीं थी, और उसके द्वारा संबंधित थाने में एफ.आई. आर. दर्ज कराई गई है, क्योंकि उपायुक्त आबकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उपायुक्त आबकारी द्वारा अपीलार्थी इकाई को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिया गया है, और अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त आबकारी के समक्ष उक्त आधार प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में उनके द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अपीलार्थी की ओर

से ऐसा कोई दस्तावेज अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि निर्धारित सीमा से अधिक हुई मार्ग हानि दुर्घटना के कारण हुई है । अपीलार्थी इकाई द्वारा अपील मेमों में उठाया गया यह आधार भी निरस्त किए जाने योग्य है कि प्राधिकृत अधिकारी को इस बात का समाधान होने पर कि निर्धारित सीमा से अधिक हुई मार्ग हानि अपीलार्थी के वश में नहीं थी, शास्ति अधिरोपित करने से छूट प्रदान की जा सकती है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि निर्धारित सीमा से अधिक हुई मार्ग हानि दुर्घटना के कारण हुई है, अथवा उन परिस्थितियों में हुई है, जो उसके वश में नहीं थी । आबकारी आयुक्त के प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा अंडर बॉण्ड तथा बिना ड्यूटी चुकाये मदिरा का परिवहन किया गया है, अतः इस संबंध में भी अपीलार्थी इकाई के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मेमों में उठाया गया यह आधार मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा शासन को देय सम्पूर्ण ड्यूटी का भुगतान कर देने से परिवहन में हुई मार्ग हानि से शासन को कोई हानि नहीं हुई है, इसलिए शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकता है । उनका यह तर्क भी उचित नहीं है कि गंतव्य स्थल पर मदिरा सत्यापन मनमाने तरीके से अपीलार्थी इकाई के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में किया गया है, कारण इस संबंध में भी उपायुक्त आबकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि गंतव्य स्थान पर मदिरा पहुंचने पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा परीक्षण उपरांत प्रेषित ई.वी.सी. के आधार पर मार्ग हानि की गणना की गई है, जिसके लिए किसी प्रकार के अभिलेख देखने की आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, म.प्र., ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–6–2014 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर